

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003**

प्रेस विज्ञप्ति

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - हिमाचल
प्रदेश सरकार**

हिमाचल प्रदेश में पेयजल सेवाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश में पेयजल सेवाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 01, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन 27 मार्च 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया तथा 05 अप्रैल 2023 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2016-21 की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में पेयजल सेवाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा, यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या लोगों को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत हैं:

- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों ने आवश्यकता से कम बैठकें कीं और इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर भी ध्यान नहीं दिया गया/ कार्यान्वित नहीं किया गया। राज्य तकनीकी एजेंसी की सेवा का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि कोई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य तकनीकी एजेंसी को पुनरीक्षण के लिए नहीं भेजी गई। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों ने ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजन, निगरानी, कार्यान्वयन और संचालन व रखरखाव सहित गतिविधियों में भाग नहीं लिया।
- राज्य ने राज्य स्तर पर कोई दीर्घकालिक व्यापक जल सुरक्षा योजनाएं और ग्राम स्तर पर ग्राम कार्य योजनाएं तैयार नहीं की, जो स्कीमों की आयोजना में नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी के अभाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जल

आपूर्ति स्कीमों के प्रबंधन और आवर्धन हेतु उन्हें समुदायों और पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित नहीं किया गया।

- तत्काल आवश्यकता के बिना निधियों का आहरण देखा गया तथा उपायुक्तों और नगर परिषदों/निगमों से प्राप्त निधियां पांच से 79 माह की अवधि हेतु निक्षेप शीर्ष में अव्ययित पड़ी रही। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त निधियों का कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र से बाहर विचलन किया गया।
- नमूना-जांचित मण्डलों में मार्च 2021 तक उपभोक्ताओं से ₹ 9.35 करोड़ के जल प्रभार की वसूली नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में एक मण्डल में ₹ 27.42 लाख का गबन देखा गया। साथ ही ₹ 12.02 लाख के जल प्रभार सरकारी खाते के प्राप्ति शीर्ष में जमा करने के स्थान पर चालू खाते में जमा किए गए। एक अन्य दृष्टांत में नगर परिषद पालमपुर से ₹ 8.55 करोड़ के जल प्रभारों की वसूली की जानी थी।
- नमूना-जांचित पांच मण्डलों में नौ उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति के डिजाइन के प्रति, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 22 से 67 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच जलापूर्ति की जा रही थी। अर्ध शहरी क्षेत्रों में 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जलापूर्ति लाभार्थियों को की जा रही थी।
- नमूना-जांचित पूर्ण स्कीमों के जल एवं जल शोधन संयंत्र के स्रोतों में घटक-वार कमियां पाई गईं जैसे कि खड्ड के बीच में बोरवेल/ अंतः स्त्रवण कुएं का निर्माण, इनटेक चेम्बर, अंतःस्त्रवण कुएं एवं पम्प हाउस का निर्माण/ उपयोग न होना, फिल्टर मीडिया के बिना पानी की आपूर्ति, अवसादन टैंक की मरम्मत/ उपयोग/ सफाई नहीं करना।
- कुछ नमूना-जांचित मण्डलों में स्कीमों की पम्पिंग मशीनरी, राइजिंग/ ग्रैविटी मेन और वितरण नेटवर्क से संबंधित कई कमियां थीं, जैसे कि खराब पम्पिंग मशीनरी, बिजली मीटर का कनेक्शन न होने के कारण अकार्यशील स्कीमों, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर्स की स्थापना न होना और जल आपूर्ति स्कीमों को उनकी इष्टतम क्षमता तक संचालित न करना। इसके अतिरिक्त ग्रैविटी मेन/ वितरण नेटवर्क न बिछाने, एंकर थ्रस्ट ब्लॉक का निर्माण न करने, भूमिगत जलाशय/ टैंक का निर्माण न करने और वितरण नेटवर्क में लीकेज जैसे मामले भी देखे गए।
- मार्च 2021 तक राज्य ने अपनी स्वयं की राज्य प्रयोगशाला का संचालन नहीं किया। राज्य में अन्य 59 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं (जिला प्रयोगशालाएं: 14 एवं उप-

मण्डलीय स्तर: 45) में, 16 उप-मण्डलीय प्रयोगशालाओं के लिए परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता प्राप्त नहीं की गई थी। प्रयोगशालाओं के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा और उपकरण नहीं थे, जिससे उनकी परीक्षण क्षमताएं प्रभावित हुईं। इसके अतिरिक्त, 2019-21 के दौरान राज्य प्रयोगशाला द्वारा पुनः परीक्षण हेतु अपेक्षित 98 प्रतिशत नमूनों का विभाग द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था।

- 2016-21 के दौरान राज्य में जल स्रोतों के जीवाणुतत्व-संबंधी और रासायनिक परीक्षणों के लक्ष्य किए जाने वाले परीक्षणों की अपेक्षित मात्रा के अनुरूप नहीं थे। विफल जीवाणुतत्व-संबंधी/ रासायनिक परीक्षणों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कुल्लू मण्डल में परीक्षणों की फर्जी रिपोर्टिंग पाई गई। पानी के नमूने के परीक्षण की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि जिला चंबा में दो प्रयोगशालाओं में एक ही पानी के नमूने हेतु किए गए परीक्षणों में भिन्नता देखी गई।
- पेयजल की ब्लीचिंग के अनुश्रवण के लिए अवशिष्ट क्लोरीन के स्तर को क्लोरोस्कोप के माध्यम से जांचा नहीं गया। साथ ही, ब्लीचिंग पाउडर को उनके उपयोगी जीवन के बाद क्लोरीनीकरण के लिए जारी किया गया।
- विभाग में कर्मचारियों की कमी 11 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के मध्य थी जबकि प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की 73 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के मध्य भारी कमी थी।
- विभाग की कार्यप्रणाली तथा स्कीमों के निष्पादन की स्थिति के अनुश्रवण के लिए राज्य, जिला एवं ग्राम स्तरों पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियों की स्थापना नहीं की गई। ₹ 5.00 करोड़ एवं इससे अधिक लागत के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु शीर्ष स्तर पर समीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था। ठेकेदारों को भुगतान जारी करने से पहले तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया।
- मार्च 2021 तक बड़ी संख्या में जल आपूर्ति की शिकायतें बकाया थीं और विभागीय स्तर पर शिकायतों की टिप्पणियों तथा निवारण के उचित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए।